

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.
मानाराम बनाम आसाराम आदि
दावा अक्स में संशोधन बाबत।

मुकदमा न. 43/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्ई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम ईयारा के खसरा संख्या 1201/373 तादादी 7.5878 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1200/373 तादादी 7.5878 हेक्टेयर भूमि के बीच की अक्स में वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच की सीव की तरमीम वर्तमान मौका कब्जा काशत अनुसार पुनः राजस्व अक्स में करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा वादी स्वयं वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तकको अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5.7.2019

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

मुहर

मुद्ई	मुद्दयलाई	रुप	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	स्टाम्प बकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील पर		
महनताना वकील	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा	मुतफरिक		
मुतफरिक			
मीजान			

नोट :खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।



दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर